

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०-०२/२४-५९/२०१२-५३

प्रेषक,

संजीव कुमार,

उप सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना।
2. महालेखाकार, बिहार, पटना।
3. अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-०८-०१-२०२४

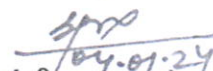
विषय:- बिहार निर्वाचन सेवा के पदाधिकारी के कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि जिला पदाधिकारी/समाहर्ता द्वारा निर्गत कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की स्वीकृति केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा प्रदान की जाती है, जो निम्नांकित है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/पदनाम/पता	प्रशिक्षण-अवधि	संबंधित जिला पदा०/समा० द्वारा कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पर ह० की तिथि
01	श्री सुशान्त कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, गोपालगंज	11.10.2023 से 18.11.2023 तक	28.11.2023

विश्वासभाजन,


(संजीव कुमार),

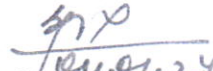
उप सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-२/२४-५९/२०१२-५३

पटना, दिनांक-०८-०१-२०२४

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी गोपालगंज एवं श्री सुशान्त कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(संजीव कुमार),

उप सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।